

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941 No. 320] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 11 सितम्बर, 2019

सं. जेईआरसी: 1/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (36 की 2003) की धारा 181 और इस संबंध में आयोग को अधिकार संपन्न बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, एतद्वारा गोवा और केंद्र शासित प्रदेश (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और समय-समय पर यथासंशोधित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विनियम में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और सीमा

- (1) इन विनियमों को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (5वां संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारी से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर लागू होंगे।
- 2. गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्याय VIII के विनियम 68 के अंतर्गत शुल्क और प्रभारों की अनुसूची तथा यथासंशोधित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विनियम में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

शुल्क और प्रभारों की अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	•	पहली 1 मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए रु.20,000 (केवल बीस हजार) मांगे
		गए और उसके बाद रु.5,000 (केवल पांच हजार रुपए) प्रति मेगावाट के बाद, बशर्ते अधिकतम राशि 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) हो।

4732 GI/2019 (1)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
2	अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने का प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क	संबंधित सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण लंबित होने तक "खाते से" 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का "लेखागत" भुगतान।
3	वार्षिक लाइसेंस शुल्क:	
3(i)	33 कि.वॉट से अधिक नेटवर्क वाली पारेषण लाइसेंस समावेशी एकीकृत उपयोगिताएँ	वर्ष के दौरान या उसके भाग के रूप में प्रति मेगावाट रु.2500/- (दो हजार पांच सौ रुपए) ट्रांसमिशन क्षमता संविदा, बशर्ते कि यह न्यूनतम 5,00,000 रुपए (केवल पाँच लाख) हो।
3(ii)	वितरण लाइसेंस	प्रस्तावित बिक्री (याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अनुसार) से राजस्व का 0.15% (प्रतिशत) (करों और शुल्कों को छोड़कर) और संबंधित वर्ष के लिए बिजली के मौजूदा टैरिफ (आयोग द्वारा अनुमोदित) पर (राजस्व के रूप में कर्तव्यों) से राजस्व
3(iii)	ट्रेडिंग लाइसेंस:	जेईआरसी (विद्युत ट्रेडिंग) विनियम, 2010 के खंड 6.5 के अनुसार
4	अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन।	0.01% (शून्य-दशमलव शून्य एक प्रतिशत) लेनदेन के मूल्य के लिए, जिसके लिए अनुमोदन मांगा जाता है, बशर्ते कि यह न्यूनतम 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) और अधिकतम 20,00,000 रुपए (केवल बीस लाख रुपए) हो।
5.	। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लाइसेंस वे	l ь संशोधन के लिए आवेदन:
5(i)	लाइसेंसधारी द्वारा	रु.1,50,000 (केवल एक लाख पचास हजार रुपए)
5(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा	2,00,000 रुपए (केवल दो लाख रुपए)
6.	अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के	अंतर्गत के लाइसेंस के निरसन के लिए आवेदन
6(i)	लाइसेंसधारी द्वारा	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
6(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
7	ट्रांसिमशन सुविधाओं के उपयोग की मांग के लिए अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आवेदन	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
8	अधिनियम की धारा 35 के परंतुक के अंतर्गत अधिशेष क्षमता की सीमा के संबंध में विवाद के लिए आवेदन।	रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)
9	धारा 36 की उप-धारा (1) के परंतुक के अंतर्गत दरों, शुल्कों, निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण के लिए आवेदन।	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
10.	अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा में विवादों के लिए और इसमें निर्दिष्ट नियम,	2 की उप-धारा (47) के अंतर्गत गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के प्रावधान के बारे ऊपर कवर किए गए हैं:
10(i)	किसी लाइसेंसधारी या किसी उत्पादन कंपनी द्वारा द्वारा संदर्भित।	, , ,
10(ii)	व्यक्ति द्वारा संदर्भित जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण और रखरखाव और संचालन किया है।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
10(iii)	उपभोक्ता / उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा संदर्भित।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
11.		प्ति (2), (3) और (4) के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (47) तथ उसके अंतर्गत पूर्ण खुली पहुंच के प्रावधान के संबंध में विवादों पर अधिनिर्णय:
11(i)	नीचे (ii) में संदर्भित उत्पादन कंपनी के अलावा किसी लाइसेंसधारी द्वारा या किसी उत्पादन कंपनी के द्वारा	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
11(ii)	किसी उत्पादक कंपनी द्वारा जो पहले से ही वितरण लाइसेंसधारक की वितरण प्रणाली से जुड़ा है या ऐसा व्यक्ति जो किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
11(iii)	उपभोक्ता/ उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
12.	आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ का निर्धारण:	
12(क)(i)	परम्परागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र	100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 15,00,000 रुपए (केवल पंद्रह लाख रुपए) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 20,000 रुपए (केवल बीस हजार रुपए)।
12(क) (ii)	पारंपरिक हाइड्रो (25 मेगावाट से अधिक))	100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 15,00,000 रुपए (केवल पंद्रह लाख रुपए) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 10,000 रुपए (केवल दस हजार रुपए)।
12(ख)	सह-उत्पादन सहित ऊर्जा के गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत	मेगावाट की स्थापित क्षमता रु.1,00,000 या 10 मेगावाट से अधिक क्षमता के लिए रु.5,00,000
12(ख)(i)	1 मेगावाट क्षमता से कम	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
12(ख)(ii)	1 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता	रु.15,00,000 (प्रति पंद्रह लाख रुपए) की सीमा के साथ 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए) प्रति मेगावाट क्षमता
12 (ग)	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएँ - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं (सभी नवीकरणीय स्रोतों) की निर्दिष्ट स्तरीय टैरिफ निर्धारण परियोजना	
(i)	2.00 मेगावाट तक	₹. 2,50,000/-
(ii)	2.00 मेगावाट से अधिक	₹. 5,00,000/-
13	धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ का वार्षिक/ आधार वर्ष निर्धारण का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा:	रु. 20,00,000 (केवल बीस लाख रुपए)
	बशर्ते कि ऐसा शुल्क तभी देय होगा जब ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्वत: निर्धारण किया जाए।	
14	वार्षिक टू-अप, एपीआर और धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली के खुदरा और डब्ल्यू/व्हीलिंग शुल्क का भुगतान निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा: ऐसा शुल्क निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्वत: निर्धारण द्वारा आवेदन पर होगा।	प्रस्तावित बिक्री (केवल न्यूनतम दस लाख रुपए) की प्रति 1000 यूनिट दर 1.25 रुपए (एक रुपया और पच्चीस पैसे)
15	बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान टैरिफ के निष्पादन और लाइसेंसधारी के निष्पादन की समीक्षा, जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।	10,00,000 रुपए (केवल दस लाख रुपए)
16	टैरिफ ऑर्डर की समीक्षा के लिए याचिका	रु.5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
17	(i) उपभोक्ता द्वारा याचिका फाइलों की समीक्षा	(i) रु. 50,000 (केवल पचास हजार)
	(ii) उपभोक्ताओं के समूह/ संघ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका	(ii) रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
18	लाइसेंसधारी द्वारा दायर विद्युत क्रय करार या विद्युत क्रय दर के लिए याचिका।	रु.5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
19	अधिनियम की धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी के प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन के लिए आवेदन	रु.2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)
20	लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवाद तथा लाइसेंसधारियों के बीच विवाद, जिन्हें इन विनियमों में अन्य कहीं भी शामिल नहीं किया गया है, का धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अंतर्गत अधिनिर्णय	रु.10,00,000 (केवल दस लाख रुपए)
21	अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (च) के खंड (च) के अंतर्गत पारित आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन	रु.3,00,000 (केवल तीन लाख रुपए)
22	आयोग के आदेशों/ अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन	रु.300 (प्रति दिन तीन सौ रुपए) जिसकी अवधि 3 घंटे से अधिक न हो।
23	दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति/ आयोग का आदेश	रु.10 (दस रुपए) प्रति पृष्ठ
24	संवाद के लिए आवेदन	रु. 20,000 (केवल बीस हजार)
25	विविध आवेदन	शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा मामले के आधार पर किया जाएगा।
26	व्यापार योजना के अनुमोदन के लिए याचिका	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
27	लाइसेंसधारी, नियम 2006 के कार्यों के नियम 3 के उप-नियम 1 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या किसी अधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ संशोधन के लिए याचिका।	1,50,000 रुपए (केवल एक लाख पचास हजार)
28	विद्युत अधिनियम, 2003 (सड़कों, रेलवे आदि का उद्घाटन) की धारा 67 उप-खंड (4) के अंतर्गत उत्पन्न विवाद	25,000 रुपए (केवल पच्चीस हजार)
29	टैरिफ ऑर्डर को ट्रू अप करने का आवेदन, यदि एक अलग याचिका के रूप में दायर किया गया हो	रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
30	ईए, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत शिकायत	शून्य

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन –III/4/असा./208/19]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 11th September, 2019

No. JERC: 1/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1st, 2nd, 3rd, & 4th amendment from time to time.

1. Short Title, Commencement and Extent

- (1) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) (5th Amendment) Regulations, 2019.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
- (3) These regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
- 2. The schedule of fees and charges under Regulation 68 of Chapter VIII of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1^{st} , 2^{nd} , 3^{rd} & 4^{th} amendment from time to time is amended as under:-

SCHEDULE OF FEES & CHARGES

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
1	Adjudication of dispute regarding	Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for the first 1 MW of
	availability of transmission facility	transmission capacity sought and Rs 5,000 (Rupees Five Thousand
	under the second proviso to sub-section	only) per MW thereafter, subject to a maximum of Rs 5,00,000
	(2) of Section 9 of the Electricity Act,	(Rupees Five Lakh only)
	2003.	
2	Initial licence fee upon grant of licence	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakhs) as "on account" payment pending
	under Section 15 of the Act	determination of fees by the concerned Government
2		
3	Annual Licence Fees:	
3(i)	Transmission Licence inclusive	Rs 2500/- (Rupees Twenty-Five hundred) per MW of transmission
	Integrated Utilities having network	capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to
	above 33kV	a minimum of Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
3(ii)	Distribution Licence	0.15% (percent) of revenues (excluding taxes, and duties) from the
		proposed sales (as proposed by the petitioner) and at existing tariff
		(approved by the Commission) of electricity for that respective year
3(iii)	Trading Licence:	As per Clause 6.5 of JERC (Electricity Trading) Regulation, 2010
4	Application seeking prior approval	0.01% (Zero-point zero one percent) of the value of the transaction
	under Section 17 of the Act.	for which approval is sought, subject to a minimum of Rs 5,00,000
		(Rupees Five Lakh only) and maximum of Rs 20,00,000 (Rupees
		Twenty Lakh only)
5.	Application for amendment of licence un	
5(i)	By Licensee	Rs 1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand only)
5(ii)	By any person other than a Licensee	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
6.	Application for revocation of licence und	r sub – Section (2) of Section 19 of the Act
6(i)	By Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
	By any person other than a Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
	Application under section 35 of the Act	Rs. 1,00,000 (Rupees One Lakh only)
	for seeking the use of intervening	
	transmission facilities	D 200 000 (D
	Application of dispute regarding extent	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
	of surplus capacity under the proviso to	
	Section 35 of the Act. Application for determination of rates,	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
I I	charges, terms and conditions under	RS 3,00,000 (Rupees Five Lakii oilly)
	proviso to sub-section (1) of Section 36	
		ision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of
		and regulations specified thereunder, note covered above:
	Referred By a Licensee or by a	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
	Generating Company	
` '	Referred By person who has	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
	constructed and maintains and operates	
1	a Captive Generating Plant.	
10/:::>	Defermed by Comment C	Do 1 00 000 (Dumage One 1-14:1-)
` /	Referred by Consumer/Consumer Representative.	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
		vision of non-discriminatory open access under sub-clause (47) of
		and (4) of Section 42 of the Electricity Act and regulations specified
	thereunder:	and (1) of Section 12 of the Dicement, that this regulations specified
	By a Licensee or by a Generating	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
	Company other than a Generating	
	Company referred to in (ii) below	
	By a Generating Company already	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
	connected to the distribution system of	
	a Distribution Licensee or by Person	
I I	who has constructed maintains and	
'	operates a Captive Generating Plant	
11(iii)]	By consumer /Consumer	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
	Representative	
		ions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62 to be paid by the
	applicant:	
, ,	Conventional fuel based (coal, Oil etc.)	Rs 15,00,000 (Rupees Fifteen lakh only) for capacity upto 100 MW
(i) 1	Plant	and Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for each additional
12(0)	Conventional Hydro Mars than 25	MW or part thereof of capacity. Po. 15 00 000 (Purpose Fifteen lakh only) for capacity up to 100 MW.
` ′	Conventional Hydro (More than 25 MW)	Rs. 15,00,000 (Rupees Fifteen lakh only) for capacity up to 100 MW and
(11)	±·±·· <i>)</i>	Rs. 10,000 (Rupees ten thousand only) for each additional MW or
		part thereof capacity
12 (b)	Non – conventional & Renewable	Rs.1,00,000 installed capacity of MW or Rs. 5,00,000 for capacity
	Sources of Energy, including co-	above 10 MW
	generation:	
	Below 1 MW capacity	Rs. 1,00,000 (rupees one lakh only)
12(b)(ii)	1 MW and above capacity	Rs. 1,00,000(Rupees one lakh only) per MW of capacity with a
10 ()	D 11	ceiling of Rs.15,00,000 (Rupees fifteen lakh only)
	Renewable energy generation projects-	
I I	Project specified levellised tariff determination of renewable energy	
	generating projects (all renewable	
	sources)	
	Up to 2.00 MW	Rs. 2,50,000/-
	Above 2.00 MW	Rs. 5,00,000/-
` '	Annual /base year determination of	Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)
1	tariff for transmission of electricity	
ı	under the provisions of clause (b) of	

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
	sub-section (1) of Section 62, to be	
	paid by Licensee:	
	Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any	
	other Person or suo-motu determination by the Commission.	
14	Annual True up, APR and determination of retail & W\wheeling charges of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: such fees determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo-motu determination by the Commission.	Rs 1.25 (Rupee One and Twenty-Five paisa) per 1000 units of proposed sales (Minimum Rupees Ten Lakh only)
15	Annual performance review of tariffs and performance of the Licensee during the control period under a multi-	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
	year tariff framework, to be paid by the Licensee.	
16	Petition for review of Tariff Order	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
17	(i) Review Petition files by the consumer	(i) Rs. 50,000 (Rupees fifty Thousand only)
	(ii) Review petition filed by a Group/Association of the consumers	(ii) Rs. 2,00,000(Rupees two lakh only)
18	Petition for Power Purchase Agreement or Power Procurement rate filed by the licensee.	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
19	Application for approval of the schedule of charges of a Distribution Licensee under Section 45 and Section 46 of the Act	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
20	Adjudication under clause (f) of subsection (1) of section 86 of disputes between licensees and generating companies and between licensees themselves not covered elsewhere in these Regulations.	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
21	Application for review of Order passed under clause (f) of sub-section (f) of section 86 of the Act	Rs 3,00,000 (Rupees Three Lakh only)
22	Application for inspection of Orders / Records of the Commission.	Rs 300 (Rupees Three Hundred per day) for a period not exceeding 3 hrs.
23	Supply of copies of documents / order of the Commission	Rs 10 (Rupees Ten) per page.
24	Interlocutory application	Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only)
25	Miscellaneous application	The fee will be determined by the Commission on case to case basis.
26	Petition for approval of Business Plan	Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only)
27	Petition for revision against the Order of the District Magistrate or	Rs 1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand only)

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
	Commissioner of Police or an authorised officer under sub rule 1 of Rule 3 of the works of Licensee, Rules 2006.	
28	Dispute arising under Section 67 sub section (4) of the Electricity Act, 2003 (Opening of Streets, Railways etc.)	Rs 25,000 (Rupees Twenty-Five Thousand only)
29	Application of truing up of Tariff Order, if filed as a separate Petition	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
30	Complaint u/s 142 of the EA, 2003	Nil

RAKESH KUMAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./208/19]